नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक / 1804 / छात्र शाखा / एस.आर.–जे.आर. / शा.चि.म. / 2024 खण्डवा, दिनांक :– 26 / 02 / 2024

/ / विज्ञप्ति / /

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में, संचालक चिकित्सक शिक्षा का पत्र क्रमांक 1200–02 / स्था. / राज / 2021 भोपाल दिनांक 24 / 12 / 2021 एवं एनएमसी द्वारा दिनांक 14 / 02 / 2022 को जारी नियमावली के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 100 एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट / जूनियर रेसीडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि **(Tenure)** से पदों की पूर्ति हेतु इन्टरव्यू आयोजित किये गये है:–

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.80,811 / –प्रतिमाह)

S.No	SUBJECT	VACANT POST	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE (OBC)
1	**General Medicine**	03	01	00	01	01
2	**Gen. Surgery**	03	00	01	01	01
3	**Radiodiagnosis**	02	01	00	01	00
4	**Dermatology**	01	01	00	00	00
	TOTAL:-	09	03	01	03	02

नोटः– आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.gmckhandwa.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **इंटरव्यू** दिनांक 01 मार्च 2024 को आयोजित किये जावेगें, जिसमें प्रातः 11.00 बजे के पूर्व तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे तथा आवेदन पत्र जमा करें। प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जाएगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। सीनियर रेसीडेन्टस की बॉण्ड सेवा अवधि शासन के जारी निर्देशानुसार रहेगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार),
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.कु.सि.चौ.शा.चि.महा, खण्डवा (म.प्र.)

इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें

नोटः–

01. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
02. आवश्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती हैं।
03. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पदआरक्षित है।
04. **जूनियर/सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कैटेगरी में परिवर्तन किया जा सकता है।**
05. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
06. उक्त सीटों में परिवर्तन किया जा सकता हैं।
07. जूनियर रेसीडेन्ट के पद के लिए एम.डी./एम.एस. डिग्री धारी अभ्यर्थीयों को प्राधान्य दिया जाएगा

1शर्तेः– यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :–

08. अवधिः– जूनियर/सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा–अवधि (Tenure) 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
09. नियुक्ति का तरीकाः– योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
10. शैक्षणिक योग्यताः–जूनियर रेसीडेन्ट के लिये एमबीबीएस एवं सीनियर रेसीडेन्ट के लिये संबंधित विषय में एम.सी.आई/डी.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण किया हैं वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जूनियर/सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी भी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस (जूनियर रेसीडेन्ट के लिये) तथा एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी. (सीनियर रेसीडेन्ट के लिये) परीक्षा उत्तीर्ण किया हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा में समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
11. यात्रा भत्ताः– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तेः–

01. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एकदिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

02. आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

03. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

04. उम्मीद्वार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

05. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

06. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. उम्मीद्वार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

08. जूनियर/सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीद्वार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

09. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है उवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।

10. जूनियर/सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रहेगी।

11. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

12. लगातार 07 दिवस से ज्यादा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है तो आपको सेवा से कार्य मुक्त किया जायेगा।

13. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंटस को चयन उपरांत 06 माह तक किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जावेगा।

14. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंटस को चयन उपरांत संस्था द्वारा होस्टल की सुविधा प्राप्त कराना बाध्यकारी नहीं है , हॉस्टल रूम खाली होने पर स्वतः ही होस्टल रूम आवंटित कर दिए जावेंगे।

(डॉ. अनंत टी. पवार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिह चौहान शा.चि.महा खण्डवा